

4-23

बाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 28-4-23 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

28/6
23

पत्रावली महंगाई राहत कॅम्प एवं प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 ग्राम पंचायत भांडेल में पेश हुई विपक्षीगण के सम्मन बाद शामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शाहू को किया गया। पत्रावली फँसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

हुक्मीचन्द रौहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठारसीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 43/23 प्रा.पत्र

1- श्री पेन्टर डा० श्री सोहन लात रांसी गितासी - बागोर तहसील माण्डल

-प्रार्थी

वनाम

- 1- श्री आशाराम डा० मांगीलाल रेजर गितासी - बागोर तहसील माण्डल
- 2- श्री हीनस डा० हजारी रांसी गितासी - आगलीकोलोनी बागोर तहसील माण्डल
- 3- श्री लखु डा० पन्ना शरीफ गितासी - बागोर तहसील माण्डल
- 4- शासन शासन पत्रिए तहसीलदार सा. माण्डल तहसील माण्डल

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 28.6.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम **आगलीकोलोनी** पटवार हल्का **बागोर II** तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं० **6481/7279** कुल किता **01** रकबा **0.3794** हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा विन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपन खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक **05.04.23** को पंजीयत किया जाकर प्रकरण को अवलोकनाथ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम **आगलीकोलोनी** पटवार हल्का **बागोर** तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० **6481/7279** कुल किता **01** रकबा **0.3794** हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक **बागोर** का **500/-** रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को वनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023